

मुख्यमंत्री भजनलाल ने हनुमानजी की पूजा-अर्चना की

जयपुर, 12 अप्रैल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को हनुमान जयन्ती के अवसर पर गोविन्दपुरी, स्वेज फार्म स्थित श्री सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर में सिद्धेश्वर हनुमानजी के दर्शन कर विधिवत् पूजा-अर्चना की तथा

- हनुमान जयंती के अवसर पर उन्होंने स्वेज फार्म स्थित श्री सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर में प्रदेश की सुख-समृद्धि के लिए कामना की।**

प्रदेश की सुख समृद्धि एवं आमजन के कल्याण की कामना की। उन्होंने मंदिर परिसर में श्री राधा-कृष्ण विग्रह के दर्शन भी किए। इस अवसर पर विधायक पुष्पेन्द्र सिंह, मंदिर महन्त अवधेशचार्य महाराज सहित बड़ी संख्या में भक्तगण उपस्थित थे।



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हनुमान जयंती के अवसर पर गोविन्दपुरी, स्वेज फार्म में सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने मंदिर परिसर में श्री राधा-कृष्ण विग्रह के दर्शन भी किए।

टैरिफ पर ट्रंप ने एक और यू टर्न लिया

ट्रंप ने मोबाइल फोन, कम्प्यूटर और चिप्स को “रैसिप्रोकल टैरिफ” से छूट दी है

वॉशिंगटन, 12 अप्रैल। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने टैरिफ को लेकर शुक्रवार को बड़ा फैसला लेते हुए एक और यू टर्न लिया।

ट्रंप ने स्मार्टफोन, कंप्यूटर, चिप्स आदि इलेक्ट्रॉनिक्स को रैसिप्रोकल टैरिफ से छूट दी है। इससे पहले वे टैरिफ नीति के क्रियावन्धन को 90 दिन आगे सरका चुके हैं। इस फैसले से अमेरिकी लोगों को राहत मिलेगी क्योंकि इन चीजों की कीमतें अब नहीं बढ़ेंगी। इसके अलावा इस फैसले से ऐपल और सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी जैसी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों को फायदा हो सकता है।

अमेरिका के कस्टम्स और बॉर्डर प्रोटेक्शन ने शुक्रवार देर रात कुछ चीजों को टैरिफ से छूट देने को लेकर एक नोटिस जारी किया। इसके मुताबिक, मोबाइल फोन, कंप्यूटर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान को टैरिफ से छूट

पहली बार सुप्रीम...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

राज्यपाल को उन विधेयकों पर उचित कार्यवाही न करने की अनुमति देता हो, जो उनके पास उनकी सम्पत्ति के लिये भेजे गये हों, तथा राज्यपाल ने सम्मति देने में विलम्ब किया हो तथा राज्य के कानून-निर्माण-तंत्र का रास्ता अवरुद्ध हो गया हो।"

यह कहते हुये कि राज्यपाल को मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सहायता एवं सलाह को मानना चाहिये, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राज्यपाल को यह छूट नहीं है कि वे उनके पास देाबारा भेजे गये विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ भेजने के लिये अपने पास आरक्षित रूप में रखे रहे। ज्ञातव्य है कि राज्यपाल द्वारा लौटा दिये गये बिल को, विधानसभा में दोबारा राज्यपाल के पास भेज सकती है।

बैच न रेजिस्ट्रार को निर्देश दिये कि इस निर्णय की एक-एक प्रति सभी उच्च न्यायालयों को तथा सभी राज्यों के राज्यपालों के प्रधान सचिवों को भेजी जाये।

सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा, “राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह के विपरित सहमति को रोकनी की स्थिति में, राज्यपाल को, तीन महीने की अधिकतम अवधि के अन्दर ही, जरूरी संदेश के साथ संबंधित विधेयक लौटाना होगा।"

विधेयक को पारित/स्वीकृत रूप में तमिलनाडु के राज्यपाल के समक्ष पुनः प्रस्तुत करने के लिये, शीर्ष अदालत ने अनुच्छेद 142 के तहत, अपने विशिष्ट एवं पूर्ण अधिकार को काम में लिया था।

अदालती आदेश...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

का अवकाश स्वीकृत प्रार्थना पत्र पेश करने को कहा था, लेकिन अपीलार्थी ने उस पर कार्रवाई नहीं की। वहीं अपीलार्थी की सेवा प्रत्युत्तका में इस अवधि की सेवा का सुल्लापन नहीं हो। ऐसे में उसे वेतन नहीं दिया गया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अधिकरण ने 6 जनवरी, 2023 को विभाग को आदेश जारी कर तीन माह में इस अवधि का बकाया वेतन का भुगतान करने को कहा था। इसके बावजूद भी विभाग की ओर से आदेश की पालन नहीं की गई। इस पर याचिकाकर्ता की ओर से अधिकरण में अवमानना याचिका दायर की गई, जिसे अधिकरण ने आगामी कार्रवाई के लिए हाईकोर्ट भेजा था।

- इसके साथ ही सैमिकंडक्टर बनाने के काम आने वाली मशीनों को भी छूट दी है। इससे ताइवान सैमिकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी जैसी बड़ी कम्पनियों को लाभ होगा।**

दी गई है। इसका मतलब यह है कि ट्रंप की ओर से चीन पर लगाए गए 125 फीसदी के टैरिफ और बाकी देशों पर लगाए गए 10 फीसदी के टैरिफ से अब कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान बाहर हो जाएंगे।

छूट जिन चीजों पर लागू होगी, उनमें स्मार्टफोन, लैपटॉप, हार्ड ड्राइव, कंप्यूटर प्रोसेसर और मेमोरी चिप्स शामिल है। ये सारी चीजें आमतौर पर अमेरिका में नहीं बनती। अगर इन्हें अमेरिका में बनाया शुरू भी किया जाए, तो उसमें कई साल लग सकते हैं। इसके अलावा ट्रंप के नए टैरिफ से उन मशीनों को भी छूट दी गई है जो सेमीकंडक्टर

पहली बार सुप्रीम...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

राज्यपाल को उन विधेयकों पर उचित कार्यवाही न करने की अनुमति देता हो, जो उनके पास उनकी सम्पत्ति के लिये भेजे गये हों, तथा राज्यपाल ने सम्मति देने में विलम्ब किया हो तथा राज्य के कानून-निर्माण-तंत्र का रास्ता अवरुद्ध हो गया हो।"

यह कहते हुये कि राज्यपाल को मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सहायता एवं सलाह को मानना चाहिये, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राज्यपाल को यह छूट नहीं है कि वे उनके पास देाबारा भेजे गये विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ भेजने के लिये अपने पास आरक्षित रूप में रखे रहे। ज्ञातव्य है कि राज्यपाल द्वारा लौटा दिये गये बिल को, विधानसभा में दोबारा राज्यपाल के पास भेज सकती है।

बैच न रेजिस्ट्रार को निर्देश दिये कि इस निर्णय की एक-एक प्रति सभी उच्च न्यायालयों को तथा सभी राज्यों के राज्यपालों के प्रधान सचिवों को भेजी जाये।

सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा, “राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह के विपरित सहमति को रोकनी की स्थिति में, राज्यपाल को, तीन महीने की अधिकतम अवधि के अन्दर ही, जरूरी संदेश के साथ संबंधित विधेयक लौटाना होगा।"

विधेयक को पारित/स्वीकृत रूप में तमिलनाडु के राज्यपाल के समक्ष पुनः प्रस्तुत करने के लिये, शीर्ष अदालत ने अनुच्छेद 142 के तहत, अपने विशिष्ट एवं पूर्ण अधिकार को काम में लिया था।

अदालती आदेश...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

का अवकाश स्वीकृत प्रार्थना पत्र पेश करने को कहा था, लेकिन अपीलार्थी ने उस पर कार्रवाई नहीं की। वहीं अपीलार्थी की सेवा प्रत्युत्तका में इस अवधि की सेवा का सुल्लापन नहीं हो। ऐसे में उसे वेतन नहीं दिया गया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अधिकरण ने 6 जनवरी, 2023 को विभाग को आदेश जारी कर तीन माह में इस अवधि का बकाया वेतन का भुगतान करने को कहा था। इसके बावजूद भी विभाग की ओर से आदेश की पालन नहीं की गई। इस पर याचिकाकर्ता की ओर से अधिकरण में अवमानना याचिका दायर की गई, जिसे अधिकरण ने आगामी कार्रवाई के लिए हाईकोर्ट भेजा था।

दिल्ली में युवा कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया

नयी दिल्ली, 12 अप्रैल। युवा कांग्रेस ने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ शनिवार को यहां विरोध प्रदर्शन कर सरकार से सवाल किया कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें गिर रही हैं तो देश की जनता को क्यों लूटा जा रहा है।

युवा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिव ने प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आंकड़े बताते हैं कि देश में 100 करोड़ लोग आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं और हालात बद से बदतर

- युवक कांग्रेस का प्रदर्शन पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस के दाम बढ़ाने के खिलाफ था।**

होने वाले हैं। जनता रो-रो कर जिए या महंगाई में दबकर मर जाए, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को इन सब से फर्क नहीं पड़ता। वे सिर्फ यहीं चाहते हैं कि उनके दोस्तों की तिजोरी लबालब भरी रहे।

उन्होंने कहा, मई 2014 के मुकाबले अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में 41 प्रतिशत की गिरावट आई है, पर लुटेरी मोदी सरकार ने पेट्रोल-डीजल के दाम कम करने के बजाय, 2-2 रुपये बढ़ा दिये हैं।

लखनऊ में सरकारी जमीन पर अम्बेडकर की मूर्ति लगाने से हुआ विवाद

मूर्ति हटाने की अपील पर पुलिस पर पथराव किया लोगों ने

लखनऊ, 12 अप्रैल। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को सरकारी जमीन पर रखने को लेकर विवाद हो गया।

बख्शी का तालाब इलाके के महिंगवा थाना क्षेत्र में अंबेडकर की मूर्ति को लेकर बड़ी संख्या में ग्रामीण पुलिस से भिड़ गए।

इस दौरान ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। इसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। मौके पर मची अफरातफरी के दौरान कुछ महिलाएं भी बेसुध हो गईं। मौके पर तनाव की स्थिति के मद्देनजर भारी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है।

जानकारी के अनुसार, लखनऊ के खंतरी गांव में बिना अनुमति के ग्राम समाज की जमीन पर देर रात

देव प्रयाग में वाहन नदी में गिरा, 5 की मौत

टिहरी गढ़ वाल/देहरादून, 12 अप्रैल।उत्तराखंड के टिहरी गढ़ वाल जनपद के देवप्रयाग क्षेत्र में शनिवार सुबह बिना नंबर का एक नया वाहन थार, अलकनंदा नदी में जा गिरा जिसमें एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत हो गयी जबकि एक अन्य घायल है।

हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ ने वाहन सवार एक महिला को रेस्क्यू कर निकाल लिया जबकि काफी मेहनत उपरांत अन्य पांच के शव निकाले जा सके। मृतकों में एक दंपति और दो किशोर एक ही परिवार के हैं, जो फरीदाबाद (हरियाणा) निवासी हैं। जबकि एक अन्य मृतक उनका रिश्तेदार है, और रुड़की (उत्तराखंड) का निवासी है।

पुलिस अधीक्षक (एसपी), टिहरी, आयुष अग्रवाल ने बताया कि आज पुलिच चौकी भल्लेगांव को स्थानीय व्यक्ति द्वारा बादशाह ढाबे से पीछे देवप्रयाग की तरफ नदी में एक वाहन गिरने की सूचना मिली। इस पर बिना समय गंवाए थानाध्यक्ष महिपाल सिंह रावत सहयोगी एसडीआरएफ व राहत बचाव उपकरण के साथ दुर्घटना स्थल पहुंचे।

देर शाम बारिश ने जयपुर को गर्मी से थोड़ी राहत दी

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर, 12 अप्रैल। पश्चिमी विक्षोभ के चलते राजस्थान के मौसम में बदलाव आया है। शुक्रवार रात के बाद शनिवार शाम को भी मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश हुई। इस बारिश ने गर्मी से हाल-बेहाल हो रहे लोगों को थोड़ी राहत दी है। मौसम विभाग ने भी जयपुर, भरतपुर, अजमेर और कोटा संभाग में कुछ जगहों पर तेज मेघगर्जन और आंधी के साथ बारिश होने तथा जोधपुर व बीकानेर संभाग में भी छुटपुट स्थानों हल्की बारिश की संभावना जताई थी।

गौरतलब है कि इस बार अप्रैल माह की शुरुआत के साथ ही प्रदेश में भीषण गर्मी का कहर बढ़ गया है, तापमान प्रतिदिन 40-41 डिग्री से ज्यादा दर्ज हो रहा है। पिछले करीब एक सप्ताह में प्रदेश के तापमान में अचानक आये बदलाव के कारण लोगों में चिंताजनक माहौल बना हुआ था। इसी बीच पिछले

- मौसम विभाग ने जयपुर, भरतपुर, अजमेर व कोटा संभाग में आँधी व बारिश की संभावना जताई है।**

2-3 दिनों से तेज अंधड़ के साथ मौसम में बदलाव और बारिश के आसार बन रहे थे। शुक्रवार रात को और कुछ जगहों पर शनिवार को हल्की बूँदाबांदी हुई। मौसम विभाग ने 13 अप्रैल से ज्यादातर हिस्सों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने और तापमान में 2-3 डिग्री बढ़ोतरी होने की संभावना जताई है। इसके साथ ही 14-15 अप्रैल से दक्षिण-पश्चिमी राजस्थान में फिर से अधिकतम तापमान 45 डिग्री दर्ज होने के साथ ही, हीटवेव की चेतावनी भी दी है।

मूर्ति हटाने की अपील पर पुलिस पर पथराव किया लोगों ने

- लखनऊ के खंतरी गांव में ग्राम समाज की जमीन पर देर रात अम्बेडकर की मूर्ति रख दी गई, जिस पर पुलिस ने समझाया और मूर्ति हटाने को कहा तो लोग भड़क गए पुलिस पर पथराव कर दिया।**

अंबेडकर की मूर्ति रख दी गई। इसके बाद पुलिस ने लोगों की समझाइश की और उन्हें बताया कि बिना अनुमति के मूर्ति नहीं लगाई जा सकती है। हालांकि, पुलिस द्वारा मूर्ति हटाने की बात कहने से लोग नाराज हो गए और

उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया।

यह विरोध प्रदर्शन उग्र हो गया और कुछ लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया।

इसमें कुछ पुलिसकर्मियों के सिर पर पत्थर लगे हैं, जिसके कारण वे घायल हो गए।

घायल पुलिसकर्मियों को अस्पताल ले जाया गया है। उग्र भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। इस दौरान कुछ महिलाएं बेसुध हो गईं।

पथराव और पुलिस द्वारा आंसू गैस के गोले दागे जाने के दौरान मौके पर अफरातफरी का माहौल हो गया। मूर्ति को लेकर शिकायत करने वालों का दावा है कि जहां मूर्ति रखी गई है, वो जगह पहले बाजाएँ और शान्दियों के आयोजन स्थल के रूप में उपयोग होती थी।

‘शराब की कालाबाजारी, 40 हजार करोड़ का कारोबार हुआ’

राजद नेता तेजस्वी प्रसाद ने यह भी कहा कि राज्य में शराबबंदी पूरी तरह से विफल हो गई है

पटना, 12 अप्रैल। बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष और राष्ट्रीय जनता पार्टी (राजद) के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में शराब की काला बाजारी और अवैध कारोबार से 40 हजार करोड़ से अधिक का कारोबार किया जा रहा है।

बिहार प्रदेश राजद के राज्य कार्यालय के शनिवार को आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते यादव ने कहा कि बिहार में शराबबंदी के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के कड़ी टिप्पणी से यह स्पष्ट होता है कि बिहार में किस तरह से शराबबंदी को विफल करने में पुलिस पदाधिकारी और सरकार में बैठे हुए

लोग लगे हुए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अब तक 14 लाख 20 हजार 700 सौ से अधिक लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, इन्हें 99 प्रतिशत से भी अधिक गरीब, दलित, पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं। जबकि एक प्रतिशत गैर दलित, गैर पिछड़ा के लोग शामिल हैं। उन पर बिहार सरकार का सशक्त और प्रभावशाली कानून भी नहीं चलता है, जबकि पिछड़ा, अतिपिछड़ा, दलित, आदिवासी समाज के 99 प्रतिशत लोगों को तंग किया जा रहा है। बिहार में शराबबंदी के बाद 03 करोड़ 86 लाख 96 हजार 570 लीटर शराब बरामद की गई है। इसमें से दो करोड़ 10 लाख 64 हजार 5सौ 84 लीटर विदेशी शराब बरामद हुई है, जबकि 01 करोड़ लीटर से अधिक देशी शराब बरामद की गई है।

ई.डी.ने सोनिया ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

में 5000 करोड़ रु. कीमत की एजेन्सल की सम्पत्तियाँ अधिगृहित कर ली थीं। ईडी ने आज एक बयान में कहा कि वह तीन स्थानों पर नोटिस पहले ही चरप्पा कर चुकी है। ये तीन स्थान हैं- दिल्ली में हैरल्ड हाउस, मुम्बई के बांद्रा इलाके में स्थित कार्यालय परिसर तथा लखनऊ के बिशेश्वर नाथ रोड पर स्थित एजेएल भवन।

इन नोटिसों में दिल्ली और लखनऊ के परिसरों को खाली करने के लिये कहा गया है।

मुम्बई की बिल्डिंग के सम्बंध में, ईडी ने किराया ट्रान्सफर करने का विकल्प भी प्रस्तावित किया है।

यह कार्यवाही “प्रिक्सन ऑफ लॉन्ड्रिंग एक्ट” (पीएनएलएफ) की धारा 8 के नियम 5 (1) के तहत की गई है। यह नियम ईडी द्वारा अट्रैन्ड की गई सम्पत्तियों का कब्जा लेने की प्रक्रिया से सम्बंधित है।

तहव्वुर के प्रत्यर्पण के श्रेय की होड़ पर कांग्रेस हमलावर

नयी दिल्ली, 12 अप्रैल। कांग्रेस ने कहा है कि तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण का श्रेय लेने की होड़ में शामिल लोगों को यह भी बताना चाहिए कि दाऊद इब्राहिम तथा अन्य आतंकवादियों का प्रत्यर्पण नहीं हो पाने का जिम्मेदार कौन है।

पार्टी ने कहा कि भले ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनकी सरकार को

- कांग्रेस प्रवक्ता ने पूछा, तहव्वुर के प्रत्यर्पण का श्रेय लेने वाले क्या दाऊद, हैडली कोलमैन और विजय माल्या के प्रत्यर्पण में मिली असफलता का भी श्रेय लेंगे।**

तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण का श्रेय दिया जा रहा है और श्रेय लेने की होड़ मची है, लेकिन सच यह है कि यह लंबी प्रक्रिया का हिस्सा है और यू.पी.ए. सरकार ने ना केवल इसकी शुरुआत की थी बल्कि इसमें तेजी भी ला दी थी। अब मोदी को इसका श्रेय देने वालों को यह भी बताना चाहिए कि दाऊद इब्राहिम, डेविड हेडली, विजय माल्या आदि का प्रत्यर्पण नहीं हो पाने की जिम्मेदारी किसे दी जानी चाहिए।

कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने शनिवार को यहां एक बयान में कहा, आज एक होड़ मची है कि किसी भी तरीके से तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण का श्रेय नरेन्द्र मोदी और सिर्फ नरेन्द्र मोदी को मिले। जबकि, सच यह है कि यह प्रत्यर्पण हमारी एजेंसियों के 15 वर्षों की मेहनत का परिणाम है।

सुखबीर सिंह बादल शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष बने

अमृतसर, 12 अप्रैल। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मुख्यालय तेजा सिंह समुंद्री हॉल में शनिवार को आयोजित पार्टी की प्रतिनिधि बैठक के दौरान सुखबीर सिंह बादल को सर्वसम्मति से शिरोमणि अकाली दल (शिअद) का अध्यक्ष चुना गया। वह चौथी बार इस पद के लिए चुने गए हैं।

पार्टी अध्यक्ष के चुनाव के लिए सुखबीर बादल का नाम कार्यकारी अध्यक्ष बलवंदर सिंह भूंदर ने प्रस्तावित किया और महेशिंदर सिंह ग्रेवाम और परमजीत सिंह सरना ने समर्थन किया। प्रतिनिधियों ने सत श्री अकाल के साथ हाथ उठाकर अपनी सहमति दी।